

19 $\frac{5}{25}$

पत्रावली पेश। वकील पार्थी हाजिर।
पत्रावली में वकील पार्थी को पूर्व में भी
बार-बार अंतिम हिदायत दी चुकी है कि
अपार्थीगण की तामिल की रसीदे पेश
करे लेकिन आज दिनांक तक तामिल
की रसीदे पेश नहीं की अतः पार्थी
का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 RTI
अन्तर्गत आदेश 3 नियम 5 के तहत
खारिज किया जाता है। पत्रावली फेंसल
शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल
दफ्तर हो।



उपसह्य अधिकारी
दांतारामगढ़ (सीकर)